रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, अक्तूबर 27—नवम्बर 2, 2019, शनिवार/कार्तिक 5—कार्तिक 11, 1941
No. 35] NEW DELHI, OCTOBER 27— NOVEMBER 2, 2019, SATURDAY/KARTIKA 5—KARTIKA 11, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

का.नि.आ. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय समूह "ख" (दमकल चालक श्रेणी) पद भर्ती नियम, 2012 और रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग)गुणता आश्वासन महानिदेशालय समूह "ग" (दमकल चालक) भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग (1) दमकल चालक (विशेष श्रेणी) (2) दमकल चालक श्रेणी-I (3) दमकल चालक श्रेणी-II (4) दमकल चालक (साधारण श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय दमकल चालक (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना .—** ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगें।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वें होगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. दमकल चालक (विशेष श्रेणी)	02* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) के स्तर- 5 में ऐसा दमकल चालक श्रेणी – I जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की है और भारी यानों के चालन के लिए दक्षता परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो। **टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर – अध्यक्ष 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान) का एक समूह "क" अधिकारी, अहमदनगर – सदस्य 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजिनियरी उपस्कर) से एक समूह "क" अधिकारी, पुणे – सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. दमकल चालक श्रेणी -1	14* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.)	अचयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(12)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (25500 - 81100 रु.) के स्तर- 4 में ऐसा दमकल चालक श्रेणी - II जिसने श्रेणी में नियमित पाँच वर्ष की सेवा की है और भारी यान चालन के लिए दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। **टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर – अध्यक्ष 2. नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (गोला बारुद), खड़की से एक समूह "क" का अधिकारी – सदस्य 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजिनियरी उपस्कर), औंध कैंप, पुणे से एक समूह "क" अधिकारी – सदस्य 4. वरिष्ठ प्रशासनिक, अधिकारी गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर - सदस्य 5. गुणता आश्वासन महानिदेशालय के मुख्यालय के प्रशासन निदेशालय से समूह एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. दमकल चालक श्रेणी –II	13* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रु.)	अचयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(12)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (19900 - 63200 रु.) के स्तर- 2 में ऐसा दमकल चालक (साधारण श्रेणी) जिसने श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और भारी यान चालन के लिए दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। **टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर – अध्यक्ष 2. नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (गोला बारुद) खड़की से एक समूह "क" अधिकारी – सदस्य 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजिनियरी उपस्कर), औंध कैंप, पुणे से एक समूह "क" अधिकारी – सदस्य 4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर - सदस्य 5. गुणता आश्वासन महानिदेशालय के मुख्यालय के प्रशासन निदेशालय से एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. दमकल चालक (साधारण श्रेणी)	13* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)
18 और 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों में साधारण अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2 :** पदों के मामले में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(8)
I. मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) उत्तीर्ण II. राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी चालन में वृत्तिक कुशलता, मोटर मैकेनिक का ज्ञान और जो कार और भारी यान चालन के लिए विधिमान्य स्थायी अनुज्ञप्ति रखता हो तथा चालन में कम से कम चार वर्ष अनुभव रखता हो। **टिप्पण** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनुभव की अर्हता से छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इस समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर – अध्यक्ष 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (गोला बारुद), खड़की से एक समूह "क" अधिकारी – सदस्य 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजिनियरी उपस्कर), औंध कैंप, पुणे से एक समूह "क" अधिकारी – सदस्य 4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर - सदस्य 5. गुणता आश्वासन महानिदेशालय के मुख्यालय के प्रशासन निदेशालय से एक अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं./ए/86320/आर.आर./एफ. ई. डी./डीजीक्यूए/प्रशा.-10/780/डी(क्यू.ए.)/2019]

जयश्री सी. आर., अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 20th September, 2019

S.R.O. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group`B' [Fire Engine Driver(special Grade)] posts Recruitment Rules, 2012 and the Ministry of Defence (Department of Defence Production) Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Fire Engine Drivers) Recruitment Rules, 2011, except as repects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of (1) Fire Engine Driver (Special Grade); (2) Fire Engine Driver Grade-I ; (3) Fire Engine Driver Grade-II and (4) Fire Engine Driver (Ordinary Grade) in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely:—

1. **Short title and commencement**.–(1)These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Fire Engine Drivers (Group 'B' and Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix** . – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**. –Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** . –Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Fire Engine Driver (Special Grade).	2* (2019) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400)	Selection post.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment:- whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(11)
Promotion: From Fire Engine Driver Grade-I in level - 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis who have successfully passed the proficiency test for driving heavy vehicles. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - Chairman; (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - Member; (3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Pune - Member; (4) Deputy Director (Administration), Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member .	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules,1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Fire Engine Driver Grade-I	14* (2019) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level - 5 in the pay matrix (Rs. 29200- 92300)	Non-selection post	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:-** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(12)
Promotion: From Fire Engine Driver Grade-II in level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100), having five years regular service in the grade and after passing the proficiency test for driving heavy vehicles. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar – Chairman; (2) A Group `A' Officer from Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee – Member; (3) A Group `A' Officer from Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune – Member; (4) Senior Administrative Officer, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - Member; (5) An Officer from Administration Directorate, Headquarters Directorate General of Quality Assurance – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) Fire Engine Driver Grade-II	13* (2019) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500- 81,100)	Non-selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(12)
Promotion: From Fire Engine Driver (Ordinary Grade) in level - 2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200) having eight years regular service in the grade and after passing the proficiency test for driving heavy vehicles. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar – Chairman; (2) A Group `A' Officer from Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee – Member; (3) A Group `A' Officer from Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune – Member; (4) Senior Administrative Officer, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - Member; (5) An Officer from Administration Directorate, Headquarters Directorate General of Quality Assurance – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) Fire Engine Driver (Ordinary Grade)	13* (2019) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19,900- 63,200)	Not applicable	Not applicable

(7)
Between 18 and 27 years (Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes). **Note 1:** The crucial date for determining age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. **Note 2:** In respect of the posts for which appointments are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age-limit shall in each case, be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.

(8)
(i) Matriculation (10^{th} class pass) from any recognised Board. (ii) Professional skill in driving, knowledge of motor mechanics, and holding of a valid permanent license for driving cars and heavy vehicles, having at least four years experience in driving issued by State Government or Central Government or Union Territories. **Note :** The qualifications regarding experience is relaxable for persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1). Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar – Chairman; (2). A Group `A' Officer from Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee – Member; (3). A Group `A' Officer from Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune – Member; (4). Senior Administrative Officer, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles) Ahmednagar - Member; (5). An Officer from Administration Directorate, Headquarters Directorate General of Quality Assurance – Member.	Not applicable.

[F. No. A/86320/RR/FED/DGQA/Adm-10/ 780 /D(QA) /2019]

JAYASREE C.R. , Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2019

का. नि. आ. 100– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय (रक्षा सुरक्षा कोर) काष्ठकार समूह 'ग' पद (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, गैर औद्योगिक) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (रक्षा सुरक्षा कोर) काष्ठकार समूह 'ग' पद (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, और गैर औद्योगिक) भर्ती (संसोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा सुरक्षा कोर काष्ठकार समूह 'ग' पद (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, गैर औद्योगिक) भर्ती नियम, 2012 में,—